SHAHEED MAHENDRA KARMA VISHWAVIDYALAYA JAGDALPUR

SOS OF EDUCATION

B.ED 4th SEMESTER

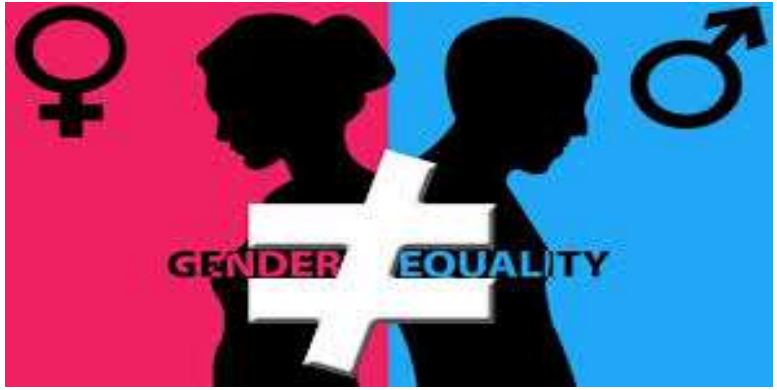

Dr. Sohan Kumar Mishra
Asst. Prof. (Contract)
SOS – Education
SMKV, Bastar,Jagdalpur

लैंगिकता एवं यौनिकता

जेंडर विद्यालय एवं समाज

लैंगिकता एवं यौनिकता

Topic : महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों के समाधान हेतु प्रयास

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों के समाधान हेतु प्रयास

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों के समाधान हेतु प्रयास

रुपरेखा :-

1. *प्रस्तावना ।*
2. *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की परिभाषा ।*
3. *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकार ।*
4. *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण ।*
5. *हिंसा एवं संघर्ष का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव ।*
6. *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे के समाधान हेतु प्रयास ।*
7. *निष्कर्ष ।*

प्रस्तावना

हिंसा का तात्पर्य एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाने से है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल बल या शक्ति के आधार पर ही हिंसा नहीं होती बल्कि हिंसा का रुप अति व्यापक होता चुका है। ताने देना, छिटाकसी करना, छेड़ छाड़ इत्यादि भी हिंसा का ही एक रूप हैं। महिलाओं में हिंसा भ्रूण अवस्था से वृद्धावस्था तक होती हैं।

परिभाषाएं

- <u>नदीम हसनैन के अनुसार :-</u>

" महिलाओं की विरुद्ध भेदभाव पालने से कब्र तक जारी है जो उसके यौन उत्पीड़न,दहेज संबंधी समस्याओं, उसे पौष्टिक आहार और चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने और उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के रूप में प्रकट होता है।

- <u>मेरी वाल्सटनक्राफ्ट के अनुसार :-</u>

"मेरी यह धारणा दृढ़ता पूर्वक पुष्ट हुई है कि तुच्छ व्यस्तताएं स्त्री को एक क्षुद्र व्यक्ति बनाती है। पुरुष उसकी देह पर अधिकार कर लेते हैं और मस्तिष्क जंग खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अतः जब दैहिक प्रेम पुरुष का प्रिय आमोद - प्रमोद होने के कारण, उन्हें शक्ति से क्षीण कर देता है, जो स्त्रियों को दास बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं।

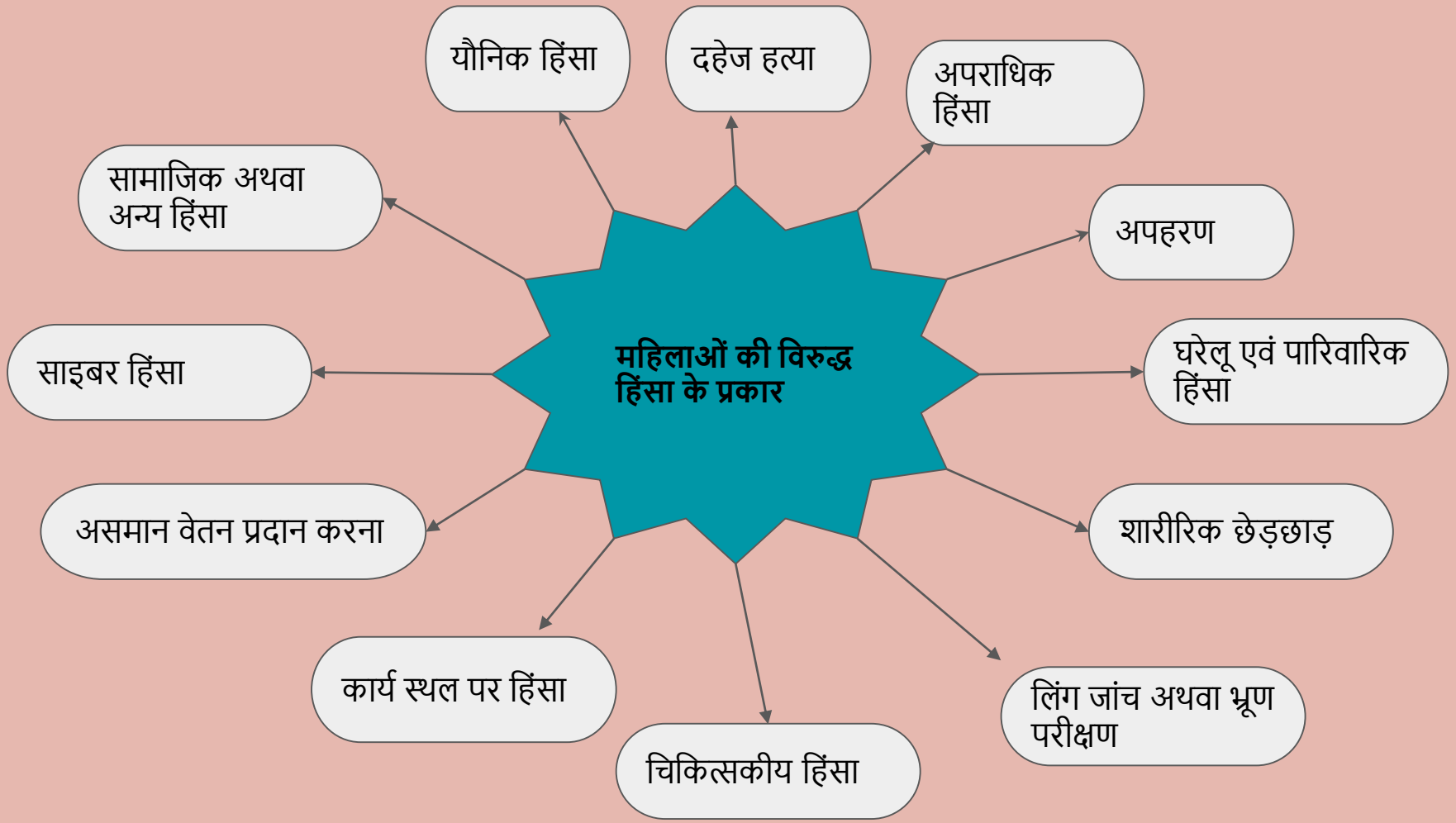
महिलाओं की विरुद्ध हिंसा के प्रकार
यौनिक हिंसा
दहेज हत्या
अपराधिक हिंसा
अपहरण
घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा
शारीरिक छेड़छाड़
लिंग जांच अथवा भ्रूण परीक्षण
चिकित्सकीय हिंसा
कार्य स्थल पर हिंसा
असमान वेतन प्रदान करना
साइबर हिंसा
सामाजिक अथवा अन्य हिंसा

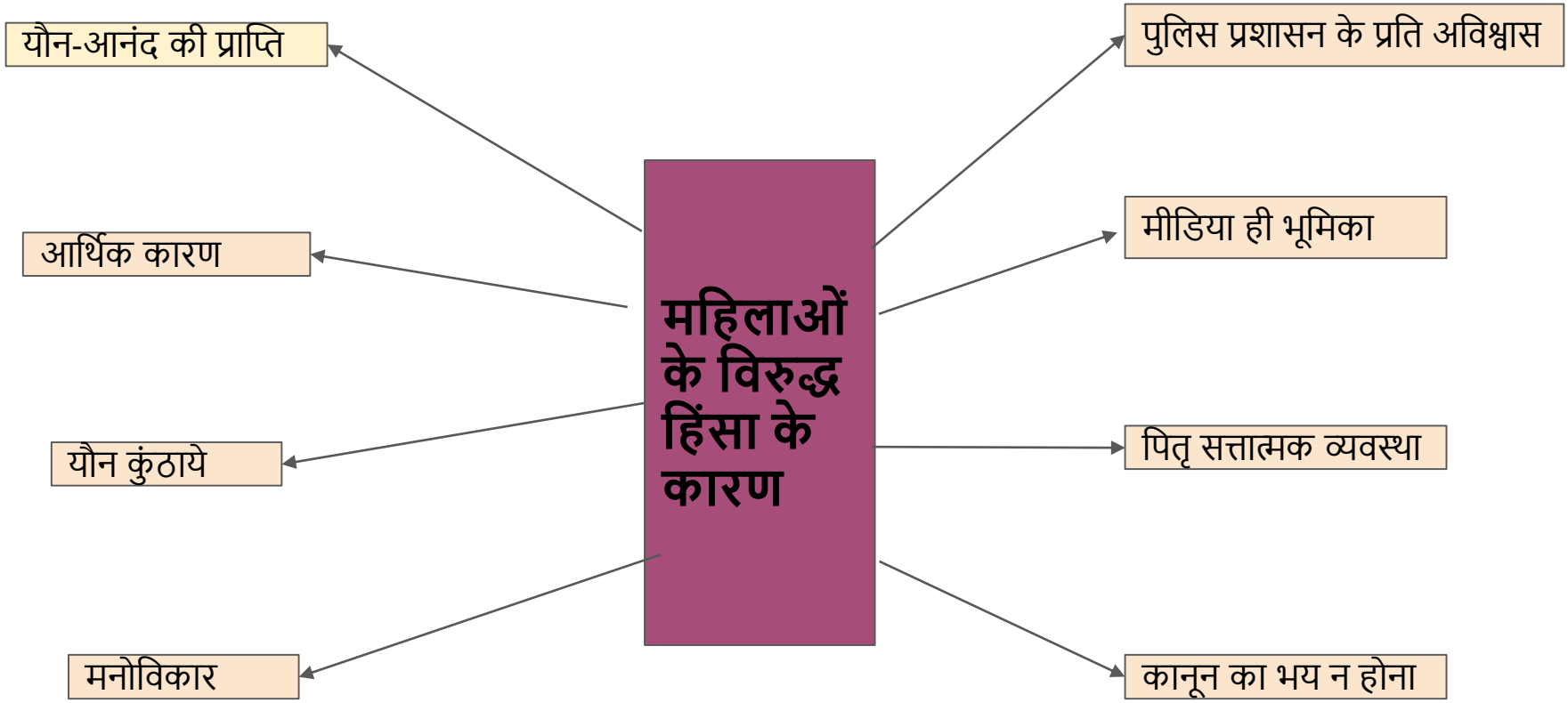
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण
यौन-आनंद की प्राप्ति
आर्थिक कारण
यौन कुंठाये
मनोविकार
पुलिस प्रशासन के प्रति अविश्वास
मीडिया ही भूमिका
पितृ सत्तात्मक व्यवस्था
कानून का भय न होना

हिंसा एवं संघर्ष का महिलाओं के जीवन पर :-

1 शारीरिक प्रभाव :-

महिलाओं के प्रति हिंसा का शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है, महिलाओ को पर्याप्त पोषक आहार विभिन्न अवस्थाए में प्रदान नहीं किया जाता है। जिससे महिलाए अल्प पोषण या कुपोषण का शिकार हो जाती है।

2 स्वास्थ्य पर कुप्रभाव :-

परिवार तथा समाज में व्याप्त हिंसा, तनाव के कारण महिलाए खाना में रूचि नहीं लेती है।कम समय में विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो भैया दिनों से दोस्त हो रही है मोटापा, रक्त की कमी, उच्च एवं निम्न रक्तचाप, घुटना में दर्द इत्यादि।

3 मृत्यु दर में वृद्धि :-

महिलाओ के प्रति हिंसा का प्रभाव महिला मृत्यु दर में वृध्दि के रुप मे देखने को मिल रहा है।

4 परिवार एवम कार्य क्षेत्र में सामंजस्य की समस्याए :-

कामकाजी महिलाएं पर हिंसा की दोहरी मार पड़ती है। एक ओर कार्यस्थल पर शारीरिक एवम मानसिक हिंसा का शिकार होती हैं तो दुसरी ओर परिवार में।

5 मौलिक अधिकारो का हनन:-

समाज में व्याप्त हिंसा महिलाओ के मौलिक अधिकारो का हनन कार रही है तथा मूलभूत अधिकारों से भी वांछित किया जा रहा हैं।

6 पुरुषों पर आश्रितता :-

हिंसा के कारण महिलाओं को जीवन के प्रत्येक अवसर पर पुरुषों पर आश्रित होना पड़ता हैं।

7 कष्टमय जीवन :-

विभिन्न प्रकार के हिंसा के कारण महिलाओं का जीवन अत्यंत कष्ट मय हो चुका है

महिलाओ के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे के समाधान हेतु प्रयास

1 कानून का प्रभावी क्रियान्वयन :-

भारत सरकार ने हिंसा की रोकथाम हेतु अनेक प्रकार के कानून बनाए है।भारत में कानून की कमी नही है। लेकिन कानून का व्यापक एवम प्रभावी क्रियान्वयन न हों पाना एक बड़ी समस्या है। जिसके कारण हिंसा की रोकथाम नहीं हो पा रही है।

2 पुलिस प्रणाली में सुधार :-

महिला हिंसा में वृध्दि का एक कारण पुलिसिया प्रणाली हैं। आज भी पुलिस थाना में महिलाओ के साथ दुर्व्यवहार होता हैं। पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता हैं। पुलिस को संरक्षक, परामर्शदाता एवम अभिभावक के रूप में कार्य करना चाहिए।

3 जन चेतना का विकास :-

स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए समान्य जन चेतना का विकास करना आवश्यक है। जैसे - नुक्कड़ नाटक, सभाएं, गोष्ठियां, कार्यशाला इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए।

4 साक्षरता दर में वृद्धि :-

महिलाओ के विरुद्ध हिंसा रोकने हेतु सर्वव्यापी कदम साक्षरता दर में वृद्धि किया जाना हैं।

5 स्वसहायता समूह का विकास:-

स्वसहायता समूहो का गठन व्यापक पैमाने पर हो रहा है । यह समूह महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त करने का प्रयास कर रहा है। स्व सहायता समूह महिलाओ के द्वारा निर्मित किया जा रहा है।

6 आरक्षण के माध्यम से :-

महिलाओं को हिंसा से बचाने हेतु आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है तथा आर्थिक सशक्तिकरण वर्तमान परिपेक्ष में महिला आरक्षण के माध्यम से ही यह संभव है।

जेंडर भाव को समाप्त करना :-

महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त अहिंसा का मूल कारण डर भाव का होना भी हैं। महिलाओं एवं पुरुषों में जैविक अंतर होने के वजूद भी दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं।

महिला अधिकारों की जानकारी :-

एक महिला अधिकारों का स्रोत केवल पति या पिता को ही मानता है। उन्हे यह जानकारी देना ना कि कुछ मालिक अधिकार प्रतियेक महिला को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। जो की भारतीय संविधान द्वारा क्त है । इन अधिकारों का अतिक्रमण किसी के द्वारा भी नही किया जा सकता हैं।

सामंती समाज की समाप्ति :-

भारत में सामंतवाद समाप्त हो चुका है लेकिन सामंती सोच अभी भी जीवित है। इन परंपरागत म सामंती सोच में परिवर्तन आवश्यक है। महिला ना तो संपत्ति है ना ही दास हैं, महिलाए एक व्यक्ति हैं।

10 प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास :-

महिला हिंसा को रोकने हेतु प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक है। प्रजातंत्र समानता, न्याय , बंधुता एवं विधि के शासन पर आधारित होता है। जब समानता की बात की जाती है तो सभी व्यक्ति समान हैं तथा सबके लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था हैं।

11 पुनर्वास केंद्र की स्थापना :-

महिलाओ के लिए शासन एवं स्वक्छिक संगठनों क

े द्वारा विभिन्न प्रकार के पुनर्वास केंद्रो की स्थापना की जानी चाहिए। यह पुनव

केंद्र विधवा, परित्यकता, शोषण की शिकार इत्यादि महिलाओ के लिए हो सक

12स्वैच्छिक संगठनो को सुदृण करना :-

प्रत्येक समाज में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिला हिंसा के विरुद्ध जितने भी आंदोलन चलाए गए वह किसी न किसी स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा ही संचालित थे।

13 आर्थिक सशक्तिकरण :-

हिंसा का सामना करने हेतु महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त किया जाना आवश्यक है। महिला जब आर्थिक रुप से सशक्त होंगी अर्थात रोजगार के छेत्र में प्रवेश करेगी, स्वतः ही हिंसा से मुक्त तथा आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेंगी ।

14 पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन :-

महिलाओ के प्रति हिंसा के एक कारण पितृ सत्तात्मक सोच का होना है । पुरुष वादी दृष्टिकोण महिलाओं को एक सीमित दायरे में रखता है। महिलाओ को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती हैं।

Thank
you